

वर्ष 1920-21 का प्रमाण है।
दिनांक 24-12-19 को प्रेषित है

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

24-12-19

अपील नं. 220/19 के अन्तर्गत
अपील। अपीलकर्ता अशोक कर्माड
की अपील से बचत शुल्क जमा
कर चुनवाड़े पत्रावली का
आदेश है दिनांक 1.1.19 को
पेश की

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

1.1.19

पत्रावली पेश हुई निर्णय सरे इजलास सुनाया गया तथा पृथक से लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर पत्रावली के संलग्न किया गया। निर्णयानुसार अपील अपीलान्त स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाता है। अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि में से त्रुटिवश बिलानाम दर्ज भूमि को पुनः अपीलान्त के खातेदारी में अंकित करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली निर्णय की सत्य प्रति के साथ पुनः लौटायी जावे।

(ललित कुमार गुप्ता)
डिविजनल कमिश्नर, जोधपुर
जोधपुर

पूर्व रसाधिकारी के कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड जमांबदी संवत् 2049-2052 में निम्न प्रकार अंकित थी -